

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प करइ

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी करइ व मूअनि करइ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करइ प0ह0 करइ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	करइ	खसरा नम्बर 898, 900 गिरा - 2 कुल रकबा 1.87 है.	मालीदेवी फरक गुल्लाराम	मालीदेवी फरक देवाराम उर्फ गुल्लाराम दर्ज करने के आदेश दिने जाने की प्रविष्टि को खसरा नम्बर 898 के अंतर्गत करइ

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 23.11.21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 613
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री..... को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021
पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।
राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर